

1/26 पत्रा. पत्रा पत्रा: 28/4/26 मं
पत्रा

Ure
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Signature

1/4/26 पत्रा. पत्रा वकील पत्रा. 2/9/07
से.श्री. टा.र.र.र. पत्रा. 1/शा. पत्रा.
मिया. वकील वदम. 7.1. दिनांक
21/5/26 मं पत्रा

Ure
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

11/07/26

पत्रावली पत्रा बुई / अधिवक्तामण
न्यायपालिका कार्य सम्बन्धित रज. / P.O. २
मि. रज. / वाहर / अयकारा में। पत्रावली
वास्ते 2/9/07 दिनांक 2/9/26
को पत्रा हो

26.2.26 पत्रा वकील पत्रा उरी वकील पत्रा

उपखण्ड अधिकारी। वदम उनी वकील
वकील वदम वकील डापी
दिए डापी पत्रा मं वकील
वकील को दारिद्र्य राफा वकील
वकील मन्त्रालय पत्रा
मया।

उपखण्ड अधिकारी वकील
दडापी मं वकील मिया विवादा

Ure
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p> गण। राजस्थान कानून कार्य परिषद 1955 की धारा 212 के तहत निम्न की अनुविधानी है :- </p> <p> 1. उपम हुकम उक्त :- मागत इति खाला सं. 35 ख. नं. $\frac{284}{0.49}$ सं. तथा $\frac{288}{0.11}$ कुल मिला - 2 शब्द 0.60 सं. नाम के नाम जमावती सं. 204-77 में शामिल तथा कर्णों के नामों की फसों के नाम पर इन धकतः उपम हुकम उक्त के नामों की फसों के एक नं. पाया जाता है </p> <p> 2. अनुविधानों का संवुलन :- प्राचीन इति उक्त ग.प. में शब्दों के नामों की इति सं. 204-77 की मिला की यह लाबिल कला ही कि मिला बादगत मागत या प्राचीन की कला कानून ही - इतिः अनुविधानों का संवुलन कर्णों के एक नं. पाया जाता है <u>Ure</u> उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.) </p>	

तारीख
हुकम

3. अपूर्णता आदि :-
 कमील आर्ची हाय कोर्ट सामान्य
 ऐसा पत्र नहीं मिया मिलने यह
 वाकिल को कोरे कि कपार्यो
 के पिला सुनाप को सुमिका
 कपात क्या है इसके यह
 पृष्ठ होता है कि आर्ची को
 मिला हुकम भी कोरे अपूर्णता
 आदि नहीं हो रही है।

मतः उपरोक्त विवेचना
 उपरोक्त मुद्दामो का संबुद्ध
 मपारीगत के पत्र को होने तथा
 आर्ची को मिला हुकम भी
 अपूर्णता आदि नहीं होने के
 कारण यह आर्ची पर धाप
 212 R.T.A 1955 सराफिज मिया
 वाला है।

पतावली कुल्ल शम्मा
 भी नाम लक्षा के कम म
 दाखिल करवा हो।

मिणीप हाज दि. 5.6.26
 को सुनाप मया।

Uhe

---चारु [I.A.S.]

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

